01/9/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस दिनांक 29/9/25 को पेश हो।

29/9/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस दिनांक 17/9/25 को पेश हो।

17/9/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस दिनांक 05/11/25 को पेश हो।

05/11/25 दिनांक 05/11/25 को राजकीय अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेश हुई। P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 20/1/26 को पेश हो।

20/1/26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 21/1/2026 को पेश हो।

21/1/26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 28/1/2026 को पेश हो।

28/1/26 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी [illegible] वकील प्रार्थी धारा 42 RTA [illegible] प्रा. पत्र [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 204/2022

कैलाश पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान —प्रार्थी

बनाम

1. कानाराम पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
2. भागीरथ पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
3. महावीर पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
4. मिश्री देवी पत्नि स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
5. रतनलाल पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
6. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
7. रामाकिशन पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
8. हीरालाल पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति साधु, उम्र बालिग, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री महावीर मालाकार दिनांक 28.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर मालाकार ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खातोली, पटवार हल्का खातोली, भू.अ.नि.क्षेत्र खातोली, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 11.9651 हैक्टेयर किस्म बंजर–1 (0.2670), बंजर–2 (0.0566) एवं बारानी–3 (11.6415) स्थित है। वर्तमान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के नाम वर्तमान जमाबन्दी में सहखातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का 1/9 हिस्सा दर्ज है और सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से भू–भाग पर काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि अविभाजित है तथा उक्त भूमि का आज तक मौके पर नींव सींव से व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा नहीं हो रखा है। मय नींव सींव से बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य काश्त को लेकर वाद विवाद होता रहता है। प्रार्थी दिनांक 10.10.2022 को सुबह अपनी उक्त कृषि भूमि हिस्से भू–भाग पर काश्तकारी कार्य करने गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 व उनके हितसाधक परिवारजन ने प्रार्थी को धमकी दी कि वह उसके हिस्से की हिस्सेदारी भूमि पर कब्जा कर उसे बलात बेदखल कर देंगे और बिना न्यायिक बंटवारा किये किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देगें और यह अपनी मर्जी से भूमि पर कब्जा कर लेगा। अतः वाद कारण पैदा हुआ निरन्तर जारी है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अप्रार्थीगण अपने मनसुबे में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है और मुकदमेंबाजी बढ़ने की प्रबल संभावना है। श्रीमान से निवेदन है कि दावे के निस्तारण तक उक्त पैरा संख्या 1 में उल्लेखित ग्राम खातोली, पटवार हल्का खातोली, भू.अ.नि.क्षेत्र खातोली, तहसील किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 11.9651 हैक्टेयर (किस्म बंजर–1 (0.2670), बंजर–2 (0.0566) एवं बारानी–3 (11.6415) में प्रार्थी के निहित हिस्से 1/9 के बिना न्यायिक बंटवारा हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 उक्त कृषि भूमि का बेचान, बख्शीश या किसी भी रूप में अन्तरण न करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में व्यवधान नहीं करें, उसे बलात बेदखल करने का अविधिक कृत्य न करें एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा दावे के निस्तारण तक बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण देने की कृपा करावें।

2. वादी का वाद दिनांक 09.11.2022 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 15.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 05 से 08 स्वयं उपस्थित हुये। दिनांक 13.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के कथनों का राजस्व रिकार्ड की विषयवस्तु है एवं शेष कथनों का जवाब इस प्रकार से है कि मौके पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं है प्रार्थी द्वारा जवाबकर्ता की पत्नि सुमित्रा देवी को करीबन 25 वर्षों पहले भगा कर ले गया था जो आज दिन तक उपरोक्त भूमि व गांव में नहीं आया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथनों का जवाब इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झुठे कथन अंकित करके वाद प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 12.07.2000 को निष्पादित किया गया है जिसमें यह सहमती हुई कि माता के हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के करवाया जावेगा एवं तब से आज दिन तक माता के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 की काबिज काश्त है। उपरोक्त प्रार्थी आज दिन तक कभी गांव में नहीं आया है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि जो पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 12.07.2000 से प्राप्त हुई है उसे हड़प करने की मंशा से वाद प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रतिप्रार्थी संख्या 1 गांव का अनपढ़ व गरीब व्यक्ति है जिसको राजीनामा कराने की बोल कर पूर्व में गलत रूप से सहमती का जवाब दिला दिया गया था परन्तु उपरोक्त सहमती का जवाब अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी में नहीं है राजीनामा अर्थात माता का हिस्सा प्रतिकी संख्या 1 के कराने के लिये बोला गया था। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के कथन गलत है अस्वीकार है मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त ही नहीं रहा है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1/ जवाबकर्ता की पत्नि सुमित्रा को करीबन 25 वर्ष पूर्व भगा कर ले गया है जो आज दिन तक नहीं लौटा है इस प्रकार मौके पर विवाद होने का प्रश्न ही निहित नहीं होता है। शेष कथन गलत है। अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के कथन गलत है अस्वीकार है। प्रार्थी करीबन 25 वर्षों से मौके पर नहीं आया है एवं ना ही गांव में आया है प्रार्थी द्वारा झुठे कथन अंकित करके वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। किसी भी प्रकार से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी गलत तथ्य प्रकट करके पारिवारिक समझौता पत्र की पालना नहीं करते हुये गलत रूप से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के कथन गलत है अस्वीकार है जवाब इस प्रकार से है कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी पूर्व में ही गांव छोड़कर भाग गया था एवं तत्पश्चात् पारिवारिक समझौता के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर काबिज काश्त है प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार से अपूर्तनीय क्षति कारीत नहीं होती है जबकी प्रार्थी अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि को हड़प कर लेगा तो पारिवारिक समझौता पत्र की अवमानना होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्च खारीज फरमाया जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

3. दिनांक 19.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 02 से 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 28.01.2026 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है, धारा 53 राज.का. अधि. के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः— प्रार्थना पत्र संस्थन के समय से आदिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं करने पर किसी प्रकार का अन्तरण नहीं किया गया है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज अथवा गवाह पेश नहीं किया गया जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी से अपूरणिय क्षति कारित हो।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

28/1/26

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)